प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तरिसठ'

[27/11/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 658]

विधानसभा सत्र दिसम्बर 2017 अता० प्रश्न क्र० 658 के प्रश्नांश 'क' की परिशिष्ट का प्रपत्र

प्रति,

उप आयुक्त,
सहकारिता जिला मुरैना

विषयः—विधानसभा प्रश्न कमांक 516 के संबंध में स्पष्टीकरण देने बावत्।
संदर्भः—आपका पत्र कं./स्थापना/2017/1690 मुरैना दिनांक 06.11.2017

—00—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न कं. 516 में दिनांक 29.10.2015 की आर्डर शीट के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यालयीन समय 10:30 बजे शाम 07:00 बजे तक मुझे जाने नहीं दिया गया, जब तक कथन में हस्ताक्षर नहीं करवा लिये। यह कहते हुये कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगे। जबकि वास्तविक सत्य यह है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या० रजौधा के विरूद्ध म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये दिनांक 12.10.2015 नियत की गई थी। दिनांक 12.10.2015 को पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2015 नियत की गई। पीठासीन अधिकारी के समक्ष मेरे द्वारा दिनांक 29.10. 2015 को नस्ती प्रस्तुत की गई, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि ऑर्डर शीट पर लिखो, संस्था अध्यक्ष की ओर से जबाव प्रस्तुत समय चाहा गया संचालक मण्डल के सदस्य अनुपस्थित आगामी पेशी तिथि 05.11.2015 नियत। जब ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष माताराम नामक व्यक्ति संस्था उपाध्यक्ष बताते हुये एक आवेदन लेकर उपस्थित हुआ जो आवेदन नस्ती में संलग्न है। जो आगामी पेशी तिथि 05. 11.2015 कटवाई गई तथा वही पूर्ववत दिनांक 05.11.2015 पीठासीन अधिकारी ने स्वयं की राईटिंग में जबाव हेतु लिखी गई। बाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा मुझ पर जबरदस्ती दबाव डालकर पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाई जाने का आरोप कथन में उल्लेख करा गया है। पीठासीन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं, जबकि छोटे कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि पीठासीन अधिकारी से छल कर सके। पीठासीन अधिकारी द्वारा कर्मचारी से स्वयं बोलकर लिखवाकर हस्ताक्षर किये हैं, जबकि संज्ञान के लिये ऐसे प्रकरण में न लाने का प्रश्न ही नहीं है। आदेश पत्रिका बाबू स्वयं नहीं लिखता है। पीठासीन अधिकारी के आदेश निर्देशों का पालन किया गया है व दोष मुझ छोटे कर्मचारी पर डाला जा रहा है। न्याय दान हेतु वस्तुस्थिति से श्रीमान की ओर अभ्यावेदन प्रस्तुत है।

(आलोक त्रिवेदी)
सहायक ग्रेड–3
कार्यालय उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मुरैना

प्रतिलिपिः—संयुक्त आयुक्त सहकारिता चंबल संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।

(आलोक त्रिवेदी)
सहायक ग्रेड–3
कार्यालय उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मुरैना

3051
6/11/17

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग